रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20122022-241230
CG-DL-W-20122022-241230

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1944
No. 45] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक भौतिक चिकित्साविद के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में सहायक भौतिक चिकित्साविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, सहायक भौतिक चिकित्सक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक भौतिक चिकित्साविद	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और

					लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से भौतिक चिकित्सा में स्नातक या भौतिक चिकित्सा में दो वर्ष के पाठ्यक्रम के साथ डिप्लोमा। (iii) सम्बद्ध राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद या चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में पाठ्यक्रम रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (iv) भौतिक चिकित्सक या सहायक भौतिक चिकित्सक या भौतिक चिकित्सा तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	(ii) केंद्रीय सरकार के अस्पताल या मान्यताप्राप्त संस्थान में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रुपये) में नियमित आधार पर सहायक भौतिक चिकित्सक या भौतिक चिकित्सक तकनीशियन या मूल काडर या विभाग में समतुल्य; (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100/-रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक(ऑर्थोपेडिक), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य; 3. सहायक निदेशक(सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/17/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Assistant Physiotherapist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Physiotherapist, in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Assistant Physiotherapist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Physiotherapist.	01* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application	(i) 12th class with science subject passed from a recognised Board. (ii) Diploma in Physiotherapy with two years course or Bachelor in Physiotherapy issued by the degree Government recognised institute. (iii) The course should be registered in the concerned State Physiotherapy Council or Directorate of Medical Education. (iv) Two years' experience as a Physiotherapist or Assistant Physiotherapist or Physiotherapy Technician. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for	Not applicable.

from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least of two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment failing which by deputation. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department. (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	**Deputation:** Officer of the Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Assistant Physiotherapist or Physiotherapist Technician in Central Government hospital or recognised institution on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; (iii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

		Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director (Orthopaedic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/17/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, (वरिष्ठ निजी सहायक), भर्ती नियम, 1992 को, जहाँ तक उसका संबंध वरिष्ठ निजी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, निजी सचिव (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी सचिव	1 (एक) * (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रुपए) में आशुलिपिक श्रेणी I जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इसके जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी.- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/-रुपये) या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. उप महानिदेशक(कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – अध्यक्ष; 2. निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य; 3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/48/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1992, in so far it relates to the post of Senior Personal Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Private Secretary (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private Secretary.	(01) One *(2022). *subject to variation dependent on the workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Stenographer Grade I in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government, State Government or Union Teritorries. - (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or department.

	Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation /absorption. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of Deputation including period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services - Chairman; 2. Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute – Member; 3. Deputy Director/Assistant Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/48/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 185.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 160 के द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1988, को जहां तक उसका सम्बन्ध फिजियोथेरेपी तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में फिजियोथेरेपी तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, फिजियोथेरेपी तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फिजियोथेरेपी तकनीशियन ।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-4 (25500-81100 रु.)।	लागू नहीं होता ।	18 और 25 वर्ष* के बीच । *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद की दशा में यह 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार	1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय सहित 12वी कक्षा उत्तीर्ण । 2.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजियोथेरेपी (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा या फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री। 3.पाठ्यक्रम फिजियोथेरेपी परिषद या सम्बद्ध राज्य आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रीकृत हो 4.किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में फिजियोथेरपिस्ट या सहायक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

					द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए है,या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 - (21700-69100रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (आर्थोपेडिक्स), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक (शल्य), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/16/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 185.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'C' posts) published in the Gazette of India vide G.S.R No. 160 dated the 16th February, 1989, in so far as it relates to the post of Physiotherapy Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapy Technician, in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Physiotherapy Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Physiotherapy Technician.	02 * (2022) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years. In case of post being filled up by All-India open Competition it would be between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andman & Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	1. 12th class pass with science subject from a recognised board or University. 2. Diploma in Physiotherapy (Two years course) or Bachelor Degree in Physiotherapy from a recognised University or Institute. 3. The course should be registered in Physiotherapy Council or concerned State Directorate of Medical Education. 4. Two years experience as a Physiotherapist or Assistant Physiotherapist or Physiotherapy Technician in a recognised Hospital. **Note: 1.** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note: 2.** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation.	Deputation: Officers of the Central Government, State Government or Union territories, -

		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in level -3 of the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column (7). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director (Orthopedic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/16/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 186.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक कि उनका संबंध रेडियोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, रेडियोग्राफर (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रेडियोग्राफर।	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वो होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक अर्हताएं: क (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी या चिकित्सा प्रौद्योगिकी (रेडियोग्राफी) या रेडियोग्राफी और इमेजिंग विज्ञान या एक्स-रे प्रौद्योगिकी या चिकित्सा रेडियोलॉजिक प्रौद्योगिकी या रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी या रेडियो–इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से रेडियोग्राफी के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

	ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोग्राफी या चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी या चिकित्सा प्रौद्योगिकी (रेडियोग्राफी) या रेडियोग्राफी और इमेजिंग विज्ञान या एक्स-रे प्रौद्योगिकी या चिकित्सा रेडियोलॉजिक प्रौद्योगिकी या रेडियोलॉजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी या रेडियो–इमेजिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से रेडियोग्राफी के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी कि यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी निकायों या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300/- रुपये) या समतुल्य में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- 1. उप महानिदेशक(कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. निदेशक(प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय –सदस्य; 3. उप निदेशक(प्रचालन और रखरखाव), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु –सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/24/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Radiographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radiographer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Radiographer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Radiographer.	01*(2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential qualifications:** A (i) Diploma in Radiography or Medical Imaging Technology or Medical Technology (Radiography) or Radiography and Imaging science or X-Ray Technology or Medical Radiologic Technology or Radiology and Imaging Technology or Radio-imaging Technology from a recognised University or institute; (ii) Two years experience in the field of Radiography in a recognised Hospital or Health Centre; or B (i) Bachelor Degree in Radiography or Medical Imaging Technology or Medical Technology (Radiography) or Radiography and Imaging science or X-Ray Technology or Medical Radiologic Technology or Radiology and Imaging Technology or Radio-imaging Technology from a recognised University or institute; (ii) One year experience in the field of Radiography in a recognised Hospital or Health Centre. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Deputation including short term contract failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory bodies or University or public sector undertakings or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in level-5 in pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification and experienced prescribed for direct recruits under column (7). Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services - Chairman; 2. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Member; 3. Deputy Director (Operations and Maintenance), Directorate General of Health Services - Member; 4. Director, Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/24/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 187.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, जिला बांकुरा, पश्चिमी बंगाल (समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों) भर्ती नियम, 1985 को, जहाँ तक उसका संबंध रेडियोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ

प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिमी बंगाल, रेडियोग्राफर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद - संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रेडियोग्राफर।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर-5 (29200-92300-रु)।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(6)	(7)
18 और 25* वर्ष के बीच। *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्धारा भरी जाने वाली पद की दशा में यह 18 से 27 वर्ष के बीच होगी । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक की हों सकती है।	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा (दो वर्ष पाठ्यक्रम) । 3. किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या चिकित्सीय संस्थान में रेडियोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:-** उन पदों के बाबत, जिन पर नियुक्तियाँ रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी है आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए है; (ख) जिनके पास स्तभं (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हतांए और अनुभव है।	लागू नही होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान गौरीपुर - सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/57/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 187.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute at Gauripur in Bankura District, West Bengal (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Radiographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Radiographer in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Bankura, West Bengal, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Bankura, West Bengal, Radiographer (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Radiographer.	01*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 - 92300).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 and 27 years). (The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	1. 12th pass with Science or equivalent from a recognised Board or University; 2. Diploma (two year course) in Radiography from a recognised Institute; 3. One year experience in Radiography in a recognised Hospital or Medical Institute.	Not applicable.	Two years.

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	**Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of – 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Chairman; 2. Assistant Director or Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/57/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 188.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, इसका (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक कि उनका संबंध वार्ड परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में वार्ड परिचर (बहुकार्य कर्मचारीवृंद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा, वार्ड परिचर (बहुकार्य कर्मचारीवृंद), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2022 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वार्ड परिचर (बहुकार्य कर्मचारीवृंद)	05*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 18000-56900 रुपए ।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच आयु। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के

					लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से प्राथमिक उपचार में प्रमाण-पत्र; और (iii) किसी 50 बिस्तर वाले अस्पताल में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1** : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो:- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य; 3. सदस्य के रूप में सहयोजित संबंधित विशेषज्ञता का एक अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/18/2018-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2022

G.S.R. 188.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training Institute, Aska (Group 'D' posts) recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Ward-attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ward Attendant (Multi-Tasking Staff) in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Ward Attendant (Multi-Tasking Staff), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person. -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ward Attendant (Multi-Tasking Staff).	05*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits. Of age.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty-years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date of determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Magahalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date of determining the age-limit shall be the last date up to which employment exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) 10th class pass from a recognised Board. (ii) First aid certificate from the Central Government or the State Government recognised institution; and (iii) One years' experience in hospital work in fifty bedded hospitals. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman; 2. Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; 3. One Officer to be co-opted as a member from the concerned speciality - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/18/2018-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 जहां तक उनका सम्बन्ध कीटनाशी नियत्रंक के पद से है, उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) में कीटनाशी नियंत्रक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है ,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र कीटनाशी नियत्रंक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स का स्तर - उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा , जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है!

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स का स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कीटनाशी नियत्रंक	*30(2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर- राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स (19900 रु - 63200 रु.) में स्तर - 2	लागू नहीं होता

आयु- सीधी भर्ती आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता
(6)	(7)
18-25 वर्ष के बीच (अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरे जाने के मामले में यह 18 वर्ष और 27 वर्ष के मध्य होगी) (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यार्थियो की दशा में सरकारी सेवको के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है I) **टिप्पण :** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंतिम तारीख नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं होती है आयु सीमा अवधारित करने की अंतिम तारीख होगी जो आवेदन की प्राप्ति की तारीख होगी)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 12 वी पास (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय जैव चिकित्सीय प्रयोगशाला से एंटोमोलोजी में 1 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय:-** कम्पूटर का ज्ञान

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी I	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)

लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने वाली) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. सयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्टीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र कीटनाशी नियत्रंक - अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिल्ली /नई दिल्ली में स्थित कोई अन्य संस्थान - सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियत्रण केंद्र कीटनाशी नियंत्रण - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-65/2019/प्रशा.]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th December, 2022

G.S.R. 189.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group- 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Insect Collector except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Insect Collector in the National Center For Vector Borne Diseases Control, (NCVBDC), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Center For Vector Borne Diseases Control, Insect Collector, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Insect Collector	30* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Ministerial).	Level- 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not Applicable.	Between 18 and 25 years. (In case of post being filled up by all India open Competition, it would be- between 18 years and 27 years.) (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through SSC, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades, from which promotion or deputation/absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential:- (i) 12th Pass with Science from a recognized Board. (ii) One year's experience in Entomology from a Government recognised medical/ biological laboratory. **Desirable:-** Knowledge of computer.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- i) Joint Director or Deputy Director, National Center For Vector Borne Diseases Control – Chairman; ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services/ Any other Institution of the Dte. Located in Delhi/New Delhi - Member; iii) Administrative Officer, National Center For Vector Borne Diseases Control – Member.	Not necessary.

[F. No. 1-65/2019/Admn.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय परिवार नियोजन क्षेत्रीय एककों/क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयों (चालक) भर्ती नियम, 1968 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालयों में, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) और स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I), और स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2022 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि–** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी)	04*(2022) *(कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु-सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)

	परिवर्तन किया जा सकता है)।				**टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
आवश्यक अर्हताएँ: (i) मोटर कार चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (ii) मोटर मेकेनिज़्म का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करना आना चाहिए)। (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो; और (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो। **वांछनीय :** होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्षों की सेवा। **टिप्पण: 1** अनुभव संबंधी अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण: 2** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिये दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम-से-	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशत्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपये) में नियमित डिस्पैच राईडर (समूह ग) और समूह-ग कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की योग्यता के मूल्यांकन हेतु चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1(18000-56900 रुपये) में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में यथाउल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हों।

कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना होगा।		सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र सेनाओं के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं रखते हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है जिसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन या संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी II	05*(2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण:** (क) उक्त प्रयोजन के लिए संचालित व्यवसाय परीक्षाका पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा: (i) अंग्रेजी अंकों और संख्याओं को पढ़ने में सक्षम हो। (ii) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो।

			(iii) पेट्रोल और डीजल इंजनों के काम करने का अच्छा ज्ञान हो और छोटी-मोटी खराबियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में सक्षम हो। (iv) कार्बुरेटर, प्लग आदि साफ करने में सक्षम हो। (ख) उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) के संबंध में व्यावहारिक परीक्षा । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी –सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन या संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी I	06 (2022)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-।। जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी ।। तथा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में संयुक्त रुप से पंद्रह वर्ष की सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। **टिप्पण:** उक्त प्रयोजन के लिए संचालित व्यवसाय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा: (i) अंग्रेजी अंकों और संख्याओं को पढ़ने में सक्षम हो। (ii) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो। (iii) पेट्रोल और डीजल इंजनों के काम करने का अच्छा ज्ञान हो और छोटी-मोटी खराबियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में सक्षम हो।

		(iv) कार्बुरेटर, प्लग आदि साफ करने में सक्षम हो। (क) उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) के संबंध में व्यावहारिक परीक्षा । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी –सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन या संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	01*(2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी । जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी –सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन या संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी – सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक प्रशासन या संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/02/2018-आरडी]

राजीव जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th December, 2022

G.S.R. 190.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Family Planning Field Units/Regional Health Offices (Drivers) Recruitment Rules, 1968, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade II, Staff Car Driver Grade I and Staff Car Driver (Special Grade), in the Regional Offices of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Offices of Health and Family Welfare, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade II, Staff Car Driver Grade I and Staff Car Driver (Special Grade), Group 'B' and 'C' Posts, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	4* (2022) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 2 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential qualifications:** (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) 10^{th}class pass from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these categories possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption to be made grade, from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in Regional offices of Health and Family Welfare who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/re-employment for Armed Force Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given

deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Senior Regional Director or Regional Director – Chairman; 2. Chief Medical Officer - Member; 3. Deputy Director Administration or Section Officer of the concerned administrative section in the Directorate General of Health Services – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Staff Car Driver Grade II.	5* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500 – 81100).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)

Promotion:

Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

Note:

(a) Trade test to be conducted for the purpose, the syllabus of which shall be as follows:

(i) must be able to read English numerals and figures;

(ii) must have good knowledge of traffic regulations;

(iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects;

(iv) must be able to clear carburetor, plug etc;

(b) practical test, based on (i), (ii), (iii) and (iv) above.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Senior Regional Director or Regional Director – Chairman; 2. Chief Medical Officer - Member; 3. Deputy Director Administration or Section Officer of the concerned administrative section in the Directorate General of Health Services – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Staff Car Driver Grade I.	6* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 – 92300).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Trade test to be conducted for the purpose, the syllabus of which shall be as follows,- (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have good knowledge of traffic regulations; (iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; (iv) must be able to clear carburetor, plug etc; (a) practical test, based on (i), (ii), (iii) and (iv) above. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Senior Regional Director or Regional Director – Chairman; 2. Chief Medical Officer - Member; 3. Deputy Director Administration or Section Officer of the concerned administrative section in the Directorate General of Health Services – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Staff Car Driver (Special Grade).	1* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By promotion.	**Promotion:** Staff Car Driver Grade I in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200- 92300) with three years of regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Senior Regional Director or Regional Director - Chairman; 2. Chief Medical Officer - Member; 3. Deputy Director Administration or Section Officer of the concerned administrative section in the Directorate General of Health Services - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Senior Regional Director or Regional Director - Chairman; 2. Chief Medical Officer –Member; 3. Deputy Director Administration or Section Officer of the concerned administrative section in the Directorate General of Health Services - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/2018-RD]

RAJEEW JAISWAL, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 191.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (हलवाई सह रसोइया एवं लिपिक के पद) भर्ती नियम, 2017 उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में हलवाई सह रसोइया के पद हेतु संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (हलवाई सह रसोइया) भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स का स्तर):-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा संबंधी अन्य बातें वें होंगी पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता :- वह व्यक्ति –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिको, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स मे स्तर)
(1)	(2)	(3)	(4)
हलवाई सह रसोइया	(01)* 2022 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर – 3 (21,700-69,100 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धहतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति – कैंटीन परिचर के पद स्तर-1 (18,000 से 56,900 रुपये) पर कार्यरत तथा उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष की नियमित सेवा

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले से पूरी कर ली गयी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति –

ऐसे कार्मिक जो केन्द्रीय सरकार कार्यालय में:

(क) (i) समकक्ष पद पर नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में कार्यरत; अथवा

(ii) ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स मे स्तर – 2 में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) निम्न शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता रखते हो :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण,किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र।

(ii) अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिये खाना पकाने का ट्रेड कौशल परीक्षण आयोजित किया जायेगा।

वांछनीय अहर्ता :-

किसी सरकारी विभाग में अथवा उपक्रम में खानपान सेवा में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1. यदि चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन विभाग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन समुदाय के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव संबंधी अर्हता, लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है।

टिप्पणी 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले पारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4. पोषक संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अध्यक्ष, विभागीय कैंटीन समिति, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी, शर्करा प्रशासन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2016- एसए]

ज्योत्स्ना गुप्त, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 28th November, 2022

G.S.R. **191**.**–**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, (Halwai-cum-Cook and Clerk) Recruitment Rules, 2017, in so far as they relate to the post of Halwai-cum-Cook, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Halwai-cum-Cook in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur (Halwai-cum-Cook) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Halwai-cum-Cook.	**(01)* 2022** * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21,700-69,100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Canteen Attendant in level-1 (Rs. 18,000-56,900/-) in the pay matrix with six years' regular service. **Note .–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with at least three years regular service in Level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix; and (b) possessing the following qualification and experience, namely : – **Essential:-** (i) 10th class pass from a recognised Board or Institute with a certificate or diploma in catering from a recognised institute; (ii) shall have to pass the trade skill test for cooking conducted to assess suitability. **Desirable:** Experience of two years in cooking from a Government department or undertaking **Note 1.–** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 2.–** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4.–** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (For considering Promotion) consisting of: (1) Chairman, Departmental Canteen, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman (2) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Member (3) Section Officer, Sugar Administration, Department of Food and Public Distribution -Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A- 12018/2/2016-SA]

JYOTSNA GUPTA, Dy. Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, केंद्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, प्रशासनिक अधिकारी(समूह'ख') भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वहव्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

अनुबंध- I

पद का नाम:	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केलिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	3* (2022) *कार्यभार के आधार पर परवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केलिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केलिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं,	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति द्वाराः- ऐसे कार्यालय अधीक्षक या आशुलिपिक ग्रेड-I में से वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपये) में प्रोन्नति, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रशासन या स्थापन या वित्तीय विषय का एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारीः-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;या

(ii) जिन्होंने मूलकाडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिसके पास किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में प्रशासन, लेखा और स्थापन मामलों में दो वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण (1) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण (3) प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में कर्मचारी चयनआयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान,कोच्चि - अध्यक्ष 2. अवर सचिव(प्रशासन-v), मात्स्यिकी विभाग- सदस्य 3. मुख्य अनुदेशक(मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी) केंद्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान,कोच्चि - सदस्य 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान,कोच्चि - सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 3-12/2021- प्रशा.V]

उमेश शंकर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 6th December, 2022

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry , Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, Senior Administrative Officer and Administrative Officer Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

(1) Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi, Administrative Officer (Group 'B') Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay level in pay matrix :- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the other Backward classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCEDULE

Annexure –I

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer.	03* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7(Rs.44,900-1,42,400) in pay the matrix	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
By promotion : Promotion from Office Superintendent or Stenographer Grade –I in Level-6 (Rs.35,600-Rs.1,12,400/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed one week training in Administration or Establishment or financial matters from the Institute of Secretariat Training and Management or Government recognised institution. Note .- Where juniors who have completed their qualification or eligibility service being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already **completed such qualifying or eligibility service.** **Deputation (including short- term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Section undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi-Government or Statutory or Autonomous organisations: (a) (i) holing analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 (Rs.35,400-Rs.1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department: and

(b) possessing two years experience in administration, accounts and establishment matters in a supervisory capacity in a Government department or undertakings.

Note 1:- The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion committee exists what is the composition.	Circumstances in which Staff Selection Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of : Director, Central Institute of Fisheries Nautical Engineering and Training , Kochi : Chairperson; Under Secretary (Admn.V), Department of Fisheries : Member; Chief instructor (Fishing Technology) Central Institute of Fisheries Nautical Engineering and Training , Kochi : Member ; Senior Administrative Officer Central Institute of Fisheries nautical Engineering and Training, Kochi : Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary while appointing on deputation.

[F. No. 3-12/2021- Admn.V]

UMESH SHANKAR PRASAD, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.20 09:49:47 +05'30'